



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2019/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्री देवीलाल, कनिष्ठ सहायक	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ।	10.02.1959	28.02.2019
2.	श्री पूरनमल, सहा. प्रशा. अधिकारी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कपासन, चित्तौडगढ।	07.03.1959	31.03.2019
3.	श्री उदयलाल टाक, अति. प्रशा. अधिकारी	अधीक्षक, पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर।	15.08.1959	31.08.2019
4.	श्री जय प्रकाश सेवक, कनिष्ठ सहायक	प्रमुख चिकि. अधिकारी, म.गा.चि. बांसवाडा।	10.12.1959	31.12.2019

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 08/02/19

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2019/442

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षक, पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, चित्तौडगढ को भेजकर लेख है कि सेवानिवृत्ति प्रकरण कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति तिथि से एक वर्ष पूर्व भिजवाये जाने चाहिए फिर किन कारणों से क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति प्रकरण विलम्ब से भिजवाये गये।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, म.गा.चि. बांसवाडा।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ/कपासन, चित्तौडगढ।
7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु. स्वा. केन्द्र, बस्सी, चित्तौडगढ।
8. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
9. सम्बन्धित कर्मचारी को सूचनार्थ।
10. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
11. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर